

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी नीमच (म.प्र.) 458441		Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441
\EPABX-07423-223030 Gram- Afeem FAX- 07423-227106/220077 e-mail : dncneemuch@gmail.com		
F.No. I(22)6/Adm./2013		Date: 19.02.2013

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेडी इत्यादि पर माह अप्रैल 2013 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल 2013 के तृतीय सप्ताह तक अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जन साधारण को दर्शाने के लिए तथा सर्वर नेटवर्क रिकार्डिंग एवं मुख्यालयों पर सीधे प्रसारण हेतु क्यूब कैमरो को उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रों पर लगाया जाना है। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 6 क्यूब कैमरे लगाये जायेंगे। जिनकी संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। लगाए जाने वाले क्यूब कैमरो का विवरण, निम्नलिखित विशिष्टी से कम नहीं होनी चाहिए।

क्र. सं.	नाम उपकरण	Specifications
1	Cube Camera	Picture HD quality (4 Mega Pixel), VGA Lences Min. Image resolution 640x480 Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60 Hz:30 fps (640x480) Shutter time 1/25S-1/100,000s, with audio output, Wi Fi enable
2	Server box	Minimum 8 video & audio input network enable, Wi Fi, Storage capacity for atleast 1 month
The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under electrical business equipment tested & passed by approved laboratory		

नियम एवं शर्तें

- उपरोक्त क्यूब कैमरो को माह अप्रैल में, विभिन्न तौल केन्द्रों पर संबंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार, निविदादाता द्वारा स्थापित करना होगा। निविदादाता को कैमरो एवं सर्वर बाक्स सहित इनको स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होंगे, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नहीं होगा, ना ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा। उक्त कैमरो को लगातार 24 घण्टे चालू रखने एवं रिकार्डिंग हेतु आवश्यक सहायक/सहायकों, जिन्हें इस संबंध में पूर्ण जानकारी हो, निविदादाता को लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होंगे। समस्त कैमरो को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने, रिकार्डिंग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
- निविदा प्रति कैमरा प्रतिदिन मय सर्वर बाक्स एवं सभी उपकरण संसाधनों को सम्मिलित करते हुये देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु क्यूब कैमरो की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (taxes) आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
- सभी केन्द्र पर लगाये गये कैमरो द्वारा सीधा प्रसारण मुख्यालयों जैसे नीमच, ग्वालियर आदि पर एच.डी. क्वालिटी होना आवश्यक है।
- सीधा प्रसारण की रिकार्डिंग सुविधा मुख्यालयों पर भी उपलब्ध करवानी होगी।
- सील्ट निविदा दिनांक 04.03.2013 को 18:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक 05.03.2013 को 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
- निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रु. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।

7. निविदादाता को दैनिक रूप से रिकार्डिंग की ऑडिया एवं विडियों सी.डी./डी.वी.डी. जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, तैयार कर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देनी होगी।
8. यदि कोई भी कैमरा खराब/बंद होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
9. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटोती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
10. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
11. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
12. उक्त निविदा इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से
(सीताराम शर्मा),
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा को सूचनार्थ।
3. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोट खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)